

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा सं०  
175/2016

रजू दिनांक  
18.07.2016

निर्णय दिनांक  
20.04.2018

अनुवान

1. जगमाल सिंह
2. नन्दलाल पुत्रान यादराम जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०।

:-वादीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज०।
2. रामजीलाल पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०।

:-प्रतिवादी

:-तरतीबी प्रतिवादी


दावा:-ईशतकरारहक अर्न्तगत धारा 88, 89, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:-:पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 20.04.2018

वादीगण की ओर से श्री सतीश यादव द्वितीय एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 20.04.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-


आराजी ख०न० 625/0.26, 836/0.39, 862/0.45 वाके ग्राम मुण्डनवाडा कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल रिकार्ड पर से वादीगण के नाम दर्ज गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किया जाकर उक्त बिवादित आराजी के 2/3 भाग का वादीगण को

  
उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज०

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप हाल रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 20.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(महेश चन्द्र मान) 20.04.18  
उपखण्ड अधिकारी एवं (अधीनस्थ) राज  
पदेन सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर)